यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून**, के माह वित्तीय **वर्ष 2014-15 से 2017-18** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री शशांक वर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **15/10/2018 से 25/10/2018 एवं 26/11/2018 से 28/11/2018** तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 26/08/2014 से 29/08/2014 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह अप्रैल 2009 से जुलाई 2014 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकारः**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून, के अंतर्गत प्रदेश में

- खादी तथा ग्रामोद्योगों का आयोजन, उनका संगठन विकास एवं विधिनियम करना तथा अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- खादी के उत्पादों एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुये अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना तैयार कर कुटीर उद्योगों की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराना।
- कच्चे माल तथा उपकरणों को जुटाने के लिये सुरक्षित भण्डार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।
- खादी ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय-बिक्रय की व्यवस्था करना।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(Amount: ₹ in Lakh)

Heads of various grants received by the Board/Years		Opening Balance	Receipts	Total funds	Expenditure	Closing Balance
Grant-in-aid (Plan-works) (2851-105-800-03-20)	2015-16	0.05	100.00	100.05	81.73	18.32
	2016-17	18.32	100.00	118.32	85.17	33.15
	2017-18	33.15	100.00	133.15	38.70	94.45
Grant-in-aid (Salary) (2851-105-800-03-43)	2015-16	2.52	710.00	712.52	706.32	6.21
	2016-17	6.21	920.00	926.21	670.48	255.73
	2017-18	255.73	730.00	985.73	925.46	60.26
Rebate on Sale of Khadi Vastra (Subsidy) (2851-105-800-21-50)	2015-16	233.66	887.48	1121.14	1119.07	2.07
	2016-17	2.07	150.00	152.07	149.07	3.00
	2017-18	3.00	140.00	143.00	142.99	0.008
Grant for purchase of Fibre and Assistance to Khadi Institutes (2851-105-800-08/11-20)	2015-16	0	0	0	0	0
	2016-17	0	40.00	40.00	6.77	33.23[1]
	2017-18	0	50.00	50.00	50.00[2]	0

[1] धनराशि शासन को समर्पित किया गया।

[2] उन क्रय हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त धनराशि के समायोजन हेतु पुनर्नियोजन।

(iv) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

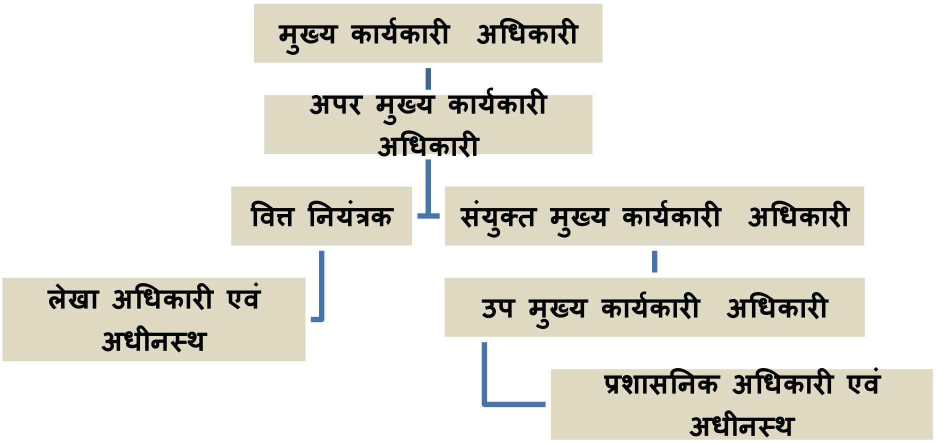

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा योजनवार खातों का संचालन किया जा रहा है तथा खातेवार पृथक रोकड़ बही (Cash Book) का रख-रखाव भी किया जा रहा हैं। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु दो-दो नमूना माह का चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14(1) , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर-1:</u> अव्ययित शासकीय अनुदानों को अनधिकृत रूप से रोके जाना, `94.54 लाख

शासन द्वारा उत्तराखंड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को, विविध कार्यों के संचालन हेतु प्रतिवर्ष लगभग `100 लाख का अनुदान (संख्या-23: लेखाशीर्ष-2851-00-105-03-20 उत्तराखंड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता) प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रदत इन अनुदानों के शासनादेशों की शर्तों के अनुसार, बोर्ड द्वारा इन अनुदाओं का आहरण वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना था तथा प्रतिएक माह के वव्ययों की सूचना आगामी माह की 25 तारीख तक शासन को प्रेषित की जानी थी। प्रत्येक वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना था तथा वित्तीय वर्ष की अव्ययित धनराशियों को 31 मार्च तक शासन को समर्पित किया जाना था।

कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून के लेखा अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान बोर्ड को सहायता के रूप में शासन द्वारा प्रदत अनुदानों एवं उक्त के सापेक्ष किए गए व्ययों का विवरण निमन्वत था:

वित्तीय वर्ष	(*धनराशि ` में*)		
	अवमुक्त अनुदान राशि	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अव्ययित शेष**
2014-15	1,00,00,000	99,95,164	4,836
2015-16	1,00,00,000	81,73,042	18,26,958
2016-17	1,00,00,000	85,17,126	14,82,874
2017-18	1,00,00,000	38,70,060	61,29,940
योग	**4,00,00,000**	**3,05,55,392**	**94,44,608**

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून द्वारा इन अनुदानों को एकमुश्त आधार पर कोषागार से आहरित कर बोर्ड के बैंक खातों के माध्यम से व्यय किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष की अव्ययित धनराशियों को 31 मार्च तक शासन को समर्पित नहीं किया गया था। यह भी की बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह के व्यय की सूचना शासन को प्रेषित नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, बोर्ड के ये कृत्य उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/वित्तीय स्वीकृतियों के वीरुध थे तथा वर्ष 2014-15 से 2017-18 से संबन्धित अव्ययित अनुदान राशि `94,44,608 को अनधिकृत रूप से रोक कर रखा गया था। लेखा परीक्षा में यह तथ्य भी उजागर हुआ था कि कार्यालय द्वारा जिस बोर्ड प्लान-निधि बैंक खाते (कोटेक महिंद्रा बैंक) में इन अनुदानों के रखा जा रहा है उस खाते का दिनांक 31-03-3018 का अंतिम अवशेष `3.08 करोड़ था जो इंगित करता है कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुदानों का पूर्ण उपयोग न किए जाने के कारण बोर्ड की प्लान-निधि निरंतर बड़ती जा रही है।

लेखा परीक्षा आप्पति के सम्बंध में कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि स्वीकृत अनुदानों का उपयोग विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु वर्षांतर्गत एवं ऑनगोइंग रूप में वर्ष के उपरांत भी किया जाता हैं। उत्तर इस तथ्य के आधार पर मान्य नहीं था कि शासनादेशों/वित्तीय स्वीकृतियों के अंतर्गत इस प्रकार की सुविधा अनुमत्य नहीं थी। साथ ही बोर्ड प्लान-निधि के अतियधिक अंतिम अवशेष भी इस ओर इंगित करते है कि बोर्ड द्वारा प्लान कार्यों के निष्पादन पर स्वीकृतियों के सापेक्ष पूर्ण व्यय नहीं किया गया था।

अतः बोर्ड द्वारा `94.54 लाख के अव्ययित सहायता अनुदानों को अनधिकृत रूप से रोके जाने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो 'अ'

प्रस्तर-1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन के लक्ष्यों का अप्राप्त रहना तथा योजना प्रावधानों के अनुरूप अकार्यरत इकाइयों से संबन्धित मार्जिन-मनी वापस न कराया जाना, `2.76 करोड़

केंद्र-पोषित 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' का क्रियान्वयन क्रमश: खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जिसके तहत उत्पादन से संबन्धित इकाइयों को अधिकतम `25 लाख तथा ब्यापार/सेवा क्षेत्र से संबन्धित इकाइयों को `10 लाख की परियोजनाओं की स्थापना हेतु निम्नवत दरों पर मार्जिन-मनी (subsidy) प्रदान किए जाने के प्रावधान है:

लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थी योगदान	मार्जिन-मनी (subsidy) की दर	
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/Minority/Women, PH NER, Hill & Border area)	05%	25%	35%
परियोजना की शेष लागत बैंकों द्वारा सांवधिक ऋणों के रूप दी जाती है।			

योजना प्रावधानों के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन की प्रेत्येक संस्था हेतु मार्जिन-मनी (subsidy) वितरण के वित्तीय तथा रोजगार सृजन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। योजना क्रियान्वयन संस्था द्वारा लाभार्थियों के चयन के बाद उनके आवेदनों को बेंकों को अग्रसारित किया जाता है तथा आयोग द्वारा मार्जिन-मनी (subsidy) की धनराशि सीधे संबन्धित बेंकों को उपलब्ध कराई जाती है। बेंकों द्वारा उक्त मार्जिन-मनी (subsidy) की धनराशि को लाभार्थी के नाम से 3 वर्षों की टी.डी.आर. (Term Deposit receipt) बनाकर रखा जाता है ओर उद्योग के सफल संचालन पर लाभार्थी को अवमुक्त की जाती है अन्यथा उक्त को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वापस करनी होती है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के तहत स्थापित सभी उद्योगो का 100 प्रतिशत भोतिक सत्यापन (स्वतंत्र ऐजेंसी) करवाया जाता है तथा परिणामों को संबन्धित योजना क्रियान्वयन संस्था को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराये जाते है।

कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून के लेखा अभिलिखों के अनुसार विगत चार वित्तीय वर्षो के दौरान योजना के आच्छादन हेतु उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदान किए गए वित्तीय व भोतिक लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष बोर्ड की उपलब्धियों के विवरण निम्नवत थे:

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य			प्राप्त लक्ष्य			उपलब्धियों का प्रतिशत	
	इकाइयों की सं.	मार्जिन-मनी (` लाखों में)	रोजगार	इकाइयों की सं.	मार्जिन-मनी (` लाखों में)	रोजगार	मार्जिन-मनी	रोजगार
2014-15	540	673.81	4320	479	826.49	2097	*122.65*	*48.54*
2015-16	311	621.62	2488	432	672.90	1625	*108.25*	*65.31*
2016-17	352	704.18	2816	350	624.71	1661	*88.71*	*58.98*
2017-18	320	640.15	2560	756	1448.80	2797	*226.32*	*109.26*
योग	**1523**	**2639.76**	**12184**	**2017**	**3572.90**	**8180**	***135.35***	***76.14***

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक मूल्य की मार्जिन-मनी (135 प्रतिशत) वितरित करवाई गई थी परंतु रोजगार सृजन का औसत मात्र 76 प्रतिशत था। लेखा परीक्षा द्वारा यह भी पाया गया था कि आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान स्थापित उद्योगो का स्वतंत्र ऐजेंसी से भोतिक सत्यापन करवाया जाना शेष था। हालांकि, आयोग द्वारा उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबन्धित वर्ष 2008-09 व 2010-11 की सत्यापन रिपोर्टें आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई गई थी तथा योजना निदेशालय के पत्रांक दिनांक 08-10-2018 के माध्यम से अकार्यशील उद्योगो से संबन्धित मार्जिन-मनी (subsidy) की वसूली के जिलेवर/वर्षवार विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया था। उक्त पत्र के अनुपालन में उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रेषित सूचना (अक्टूबर 2018) के अनुसार प्रदेश में कुल 147 अकार्यशील इकाइयां थी जिनसे `128.04 लाख की मार्जिन-मनी की वसूली शेष थी (विवरण **सलग्नक-क** के अनुसार)। इसके अलावा लेखा परीक्षा द्वारा कार्यालय से वर्ष 2011-12 से 2013-14 से संबन्धित अकार्यशील इकाइयों से संबन्धित मार्जिन-मनी (subsidy) की वसूली के जिलेवर/वर्षवार

विवरण मांगे गए थे। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उक्त अवधि से संबन्धित कुल 144 अकार्यशील इकाइयों से `147.65 लाख की मार्जिन-मनी या तो बेंकों के पास अवरुद्ध है (विवरण **सलग्रक-ख** के अनुसार) अथवा उक्त की वसूली संबन्धित इकाइयों से की जानी शेष है।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुय उत्तर दिया गया था कि उत्तराखंड राज्य का अधिकतर भू-भाग पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर छोटी-2 इकाइयां स्थापित हुई है जिस कारण योजना के अंतर्गत कम रोजगार सृजित हुआ है। यह भी कि नान-वर्किंग इकाइयों की अवशेष मार्जिन-मनी को संबन्धित बेंकों से नोडल कार्यालय को भेजे जाने के प्रयास किए जा रहे है। उत्तर इस तथ्य के आलोक में स्वीकार्य नहीं थे कि योजना का मुख्य उद्देश्य जोजगार सृजन है जिसे पूर्ण करने में विभाग असफल रहा तथा नान-वर्किंग इकाइयों से संबन्धित मार्जिन-मनी की वसूली लंबे समय से लंबित है।

अतः कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन के लक्ष्यों के अप्राप्त रहने तथा अकार्यरत इकाइयों से संबन्धित `2.76 करोड़ की मार्जिन-मनी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) को वापस न कराये जाने का यह प्रकरण प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-क

वर्ष 2009-10 व 2010-11 से संबन्धित अकार्यशील इकाइयों से संबन्धित वसूलनीय मार्जिन-मनी के विवरण

(धनराशि लाख ` में)

जनपद का नाम	इकाइयों की सख्या	ऋण धनराशि	प्रदत मार्जिन-मनी	वसूल मार्जिन-मनी	आयोग को प्रेषित मार्जिन-मनी
अल्मोड़ा	19	46.80	16.412	4.03	4.03
वागेश्वर	19	25.50	8.93	2.10	2.10
चमोली	11	20.85	7.30	0	0
चंपावत	08	20.00	7.005	2.45	2.45
देहारादून	20	101.50	33.0125	5.1625	5.1625
हरिद्वार	08	39.76	11.176	0	0
नैनीताल	07	42.815	14.81	1.05	1.05
पिथौरागढ़	12	28.58	9.652	1.75	1.75
पौड़ी	04	19.50	6.825	0	0
रुद्रप्रयाग	09	20.14	6.65	0	0
टिहरी	12	24.13	8.399	0.665	0.665
उत्तरकाशी	10	14.7525	5.86335	0	0
उधमसिंह नगर	08	76.80	9.215	0	0
योग	**147**	**481.1275**	**145.24985**	**17.2075**	**17.2075**
अवशेष वसूली = **`128.04** लाख (**`145.25** लाख **-** **`17.21** लाख)					

संलग्नक-ख

वर्ष 2011-12 से 2013-18 से संबन्धित अकार्यशील इकाइयों से संबन्धित वसूलनीय मार्जिन-मनी के जिलेवर विवरण

(धनराशि लाख ` में)

जनपद का नाम	इकाइयों की सख्या	ऋण धनराशि	प्रदत मार्जिन-मनी	वसूल मार्जिन-मनी	आयोग को प्रेषित मार्जिन-मनी
अल्मोड़ा	5	17.14	06.00	0.70	0.70
वागेश्वर	8	17.97	06.29	0.00	0.00
चमोली	34	79.23	27.73	5.95	5.95
चंपावत	9	27.51	09.63	1.40	1.40
देहारादून	8	36.28	12.70	1.75	1.75
हरिद्वार	9	36.63	12.71	1.75	1.75
नैनीताल	14	44.14	15.45	3.55	3.55
पिथौरागढ़	9	32.55	11.39	1.05	1.05
पौड़ी	13	62.45	21.85	3.73	3.73
रुद्रप्रयाग	13	50.00	17.50	1.40	1.40
टिहरी	6	22.00	07.70	0.70	0.70
उत्तरकाशी	10	17.00	05.95	0.53	0.53
उधमसिंह नगर	6	43.57	15.25	0.00	0.00
योग	**144**	**486.47**	**170.15**	**22.51**	**22.51**
अवशेष वसूली = **`147.64** लाख (**`170.15** लाख **-** **`22.51** लाख)					

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-2: विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ऊन क्रय की नई योजना तथा इसके सम्पूर्ण रीवालविंग फ़ंड (`74.65 लाख) का प्रथम वर्ष में ही अवरुद्ध हो जाना

उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थानीय भेड़ पालकों से आंशिक मात्रा में ऊन का क्रय किया जाता था। उत्तराखंड शासन द्वारा स्थानीय भेड़ पालकों की इस समस्या के निदान हेतु 'भेड़ पालकों से ऊन क्रय की नई योजना' की स्वीकृति प्रदान की (मई 2017) ताकि भेड़-पालकों द्वारा उत्पादित अधिकतम ऊन का प्रतिवर्ष क्रय संभव हो सके। शासन द्वारा उक्त परियोजन हेतु उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की `75 लाख की मांग के सापेक्ष गरीब कल्याण कोष से `50 लाख स्वीकृति (शासनादेश संख्या-998/VII-2/01(09)-एम.एस.एम.ई./2017 दिनांक 18-07-2017) इस शर्त के साथ प्रदान की थी कि योजना के लिए आवशयक शेष धनराशि `25 लाख का योगदान बोर्ड द्वारा स्वंय किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एक बार (One time) अनुदान के रूप में थी उसके पश्चात उक्त निधि (`75 लाख) से ऊन क्रय करने के उपरांत उसका प्रशोधन कर उससे निर्मित वस्त्रों की बिक्री से प्राप्त आय को रीवालविंग फ़ंड के रूप में उपयोग कर प्रत्येक वर्ष ऊन का क्रय किया जाना था।

योजना प्रवंधन व क्रियान्वयन से संबन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच (नवम्बर 2018) में पाया गया था कि योजना अधीन उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के दो क्षेत्रीय कार्यालयों (चंबा व श्रीनगर) द्वारा अगस्त/सितम्बर 2017 के दौरान `74.65 लाख की लागत से कुल 84,696 किग्रा. कच्ची ऊन का क्रय किया गया था जिसे बिना परिशोधन के लेखा परीक्षा तिथि तक (नवम्बर 2018) विभिन्न जनपदीय गोदामों में यथावत भंडारित किया हुआ है। इसप्रकार लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया कि योजना की सम्पूर्ण निधि (रीवालविंग-फ़ंड) पहले ही वर्ष में अवरुद्ध/संत्रिप्त हो चुकी है और योजना से आगामी वर्षों के ऊन क्रय के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। अतः स्पस्ट था कि विभाग ऊन क्रय की इस नई योजना को योजना-प्रावधानों के अनुरूप लागू करने में असफल रहा तथा योजना उड़ेश्यों को प्राप्त किया जाना शेष है।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि ऊन प्रशोधन की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर अमान्य था क्योंकि कच्ची ऊन अभी भी (नवम्बर 2018) उन्ही जनपदीय भण्डारों में पड़ी हुई थी ओर बोर्ड द्वारा ऊन प्रशोधन को भेजे जाने हेतु कोई कार्यादेश निर्गत नहीं किया है।

अतः विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ऊन क्रय की नई योजना (2017) तथा इसके सम्पूर्ण रीवालविंग फ़ंड (`74.65 लाख) का प्रथम वर्ष में ही अवरुद्ध किए जाने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग- दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर-3:</u> खादी संस्थाओं को सहयोग योजना को लागू न किया जाना तथा शासन द्वारा प्रदत्त `25 लाख की योजना धनराशि को रोके रखना

उत्तराखंड शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उदेश्य से जून 2016 में 'खादी संस्थाओं को सहयोग योजना' लागू की थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक एवं संस्थागत रूप से कमजोर खादी संस्थाओं के उत्थान हेतु उनके उत्पादन केन्द्रों के सुद्ढीकरण, तकनीकी विकास, डिजाइन विकास में सहायता प्रदान किया जाना सम्मलित था। योजना-प्रावधानों के अनुसार योजना के तहत एक वर्ष में अधिकतम 05 संस्थाओं/समितियों को आच्छादित किया जाना था जिन्हें अधिकतम ` 5 लाख तक की सीमा की सहायता प्रदान की जानी थी। शासन द्वारा वर्ष 2016-17 में योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि `25 लाख की स्वीकृति शासनादेश संख्या-1552/VII-2-16/210-एम.एस.एम.ई./2015 दिनांक 28-09-2016 द्वारा प्रदान की गई थी।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून द्वारा स्वीकृत धनराशि `25 लाख का कोषागार से आहरण कर बोर्ड बैंक खातों में जमा की गई जो आजतक (नवम्बर 2018) अव्ययित पड़ी हुई है। लेखा परीक्षा द्वारा यह भी पाया गया था कि बोर्ड द्वारा योजना प्रावधाओं के अनुरूप खादी संस्थाओं/ समितियों के चयन हेतु एक समिति का गठन भी किया गया था जिसके द्वारा दिस्मबर 2016 पाँच खादी संस्थाओं/ समितियों वित्तीय सहयोग प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। इसके वावजूद भी बोर्ड कार्यालय द्वारा उन्हें ` पाँच-पाँच लाख की देय सहायता प्रदान नहीं की थी। कार्यालय द्वारा प्रकरण पर लेखा परीक्षा को उत्तर में बताया गया था कि स्वीकृत धनराशि `25 लाख को शासन को समर्पित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसप्रकार, स्पस्ट था कि उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शासन द्वारा स्वीकृत खादी संस्थाओं को सहयोग योजना को लागू नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप न केवल योजना के वांछित उद्देश्य अप्राप्त रहे बल्कि दो वर्षो से अधिक समय से योजना राशि `25 लाख (वर्ष 2016-17) को रोककर रखा गया है।

अतः शासन द्वारा स्वीकृत योजना को लागू न किया जाने तथा `25 लाख की योजना धनराशि को रोके रखने का यह प्रकरण प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-4 ऋण राशि को अनियमित रूप से अवरुद्ध रखने एवं नियमित रूप से जमा न किया जाना ₹144.14 लाख

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार (के.वी.आई.सी.) द्वारा के.वी.आई.सी. ऋण नियम, 1958 के अंतर्गत तत्कालीन उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं पंजीकृत विभिन्न संस्थानों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता (आयोग ऋण) प्रदान किया गया। के.वी.आई.सी. द्वारा 1995-96 से 2001-02 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) के साथ कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट (सीबीसी) व्यवस्था के तहत भी के.वी.आई. संस्थानों को भी धन (सी.बी.सी. ऋण) वितरित किया गया। लाभार्थियों से मूलधन और ब्याज की ऋण राशि (आयोग ऋण एवं सी.बी.सी. ऋण) की वसूली जिला ग्रामोद्योग केन्द्रो द्वारा कर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से के.वी.आई.सी. मुंबई को पुनर्भुगतान की कार्यवाही किया जाना था।

खादी बोर्ड के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (11/2018) मे पाया की लाभार्थियो से वसूल की गयी धनराशि जनपद के खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालयों में एवं उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के खातों मे मार्च 2018 में कुल ₹1,44,13,806.00 अवरुद्ध है।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	जिला	अवरुद्ध राशि (₹)
1.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून	देहरादून	10903755.50
2.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	देहरादून	1836493.54
3.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	पिथौरागढ़	94923.00
4.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	टिहरी	4543.50
5.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	पौड़ी	48742.50
6.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	चंपावत	87843.02
7.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	उधम सिंह नगर	4189.00
8.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	बागेश्वर	135742.50
9.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	चमोली	31061.18
10.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	नैनीताल	23354.53
11.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	हरिद्वार	928387.65
12.	उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	उत्तरकाशी	53279.00
13.		रुद्रप्रयाग	261490.91
योग			1,44,13,805.83

जांच मे यह भी पाया कि खादी बोर्ड द्वारा भी के.वी.आई.सी. मुंबईको ऋण राशि का भुगतान नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा है। विगत 04 वर्षो मे मात्र 01 बार (₹11551000-अगस्त 2014) भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वसूल की गयी धनराशि शीघ्र ही के.वी.आई.सी. को प्रेषित कर दी जाएगी।

अतः वसूल की गयी ऋण राशि को अवरुद्ध रखने एवं नियमित रूप से जमा न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता हैं।

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-5: रेशा क्रय अनुदान राशि का अनियमित आहरण (`40 लाख), अवरोधन (`33.23 लाख) एवं व्यय (`6.77 लाख)

प्रदेश शासन द्वारा उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तैयार/प्रस्तुत 'रेशा क्रय अनुदान योजना' व उक्त की दिशानिर्देशिका का अनुमोदन शासनादेश संख्या-1013/VII-2/47-एम.एस.एम.ई./2016 दिनांक 24-08-2016 द्वारा किया था। योजना प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध रेशे जैसे डांस- कंडाली रेशा, भीमल रेशा, रामबाण रेशा का क्रय किसानों/लोगों से कर, रेशा उत्पादन से संबन्धित प्राइवेट/शासकीय/अर्ध-शासकीय उद्यमियों/संस्थाओं को खुली निविदा के माध्यम से 50 प्रतिशत तक की सीमा के अनुदान पर आपूर्त किया जाना था। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मांग पर शासन द्वारा वर्ष 2016-17 में योजना के क्रियान्वयन हेतु `100 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया जिसमे से `40 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1540(1)/VII-2/47-एम.एस.एम.ई./2016 दिनांक 19-09-2016 द्वारा निर्गत की गई थी।

योजना प्रवंधन व क्रियान्वयन से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ था कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि `40 लाख का एकमुश्त आहरण दिनांक 27-09-2016 को किया गया जबकि शेष अनुमोदित परिव्यय `60 लाख हेतु शासन द्वारा कोई स्वीकृति निर्गत नहीं की क्योकि उक्त हेतु उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। योजना के तहत बोर्ड द्वारा विगत दो वर्षो में कुल 3080 किग्रा. रेशे का क्रय (वर्ष 2016-17 में 2220 किग्रा. व वर्ष 2017-18 में 860 किग्रा.) किया गया जिसमे से 1213 किग्रा. का विक्रय बिना किसी अनुदान के किया जा चुका था जबकि 1867 किग्रा. का अनिस्तारित भण्डार अभी भी शेष था। बोर्ड द्वारा योजना के तहत कुल `06,76,974 का व्यय दर्शाया गया था।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि 3080 किग्रा. रेशे के क्रय का वास्तविक व्यय `52,223 मात्र था और कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून योजना के तहत किए गए शेष व्यय के विवरण उपलब्ध करने में असमर्थ रहा था। यह भी पाया गया था कि:

- रेशा क्रय पर किया जाने वाला कुल व्यय बोर्ड को अपने स्रोतो से वहन करना था क्योंकि योजना प्रावधाओं के अनुसार शासन द्वारा स्वीकृत राशि उद्यमियों को रेशा विक्री पर खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त दरों पर प्रदान किए जाने वाले 50 प्रतिशत तक के अनुदानों हेतु थी। अतः योजना राशि के आहरण की आवश्यकता ही नहीं थी।
- बोर्ड द्वारा जो 1213 किग्रा.रेशे का विक्रय किया गया था उस पर किसी प्रकार के अनुदान की न तो आवश्यकता थी ओर न ही प्रदान किया गया था क्योकि उक्त का विक्रय बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्गत दरों (लागत व 10% लाभांश सहित) पर हुआ था।
- बोर्ड द्वारा योजना के तहत अव्ययित धनराशि `33,23,026 को 22 माह के उपरांत दिनांक 31-07-2018 को राजकोष में जमा कार्य गया था।

इस प्रकार रेशा क्रय अनुदान योजना के तहत कार्यालय उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा न केवल `06.76 लाख का अनावश्यक व्यय दर्शाया जा रहा था वल्कि सम्पूर्ण धनराशि `40 लाख का आहरण व अब्ययित राशि (`33.23 लाख) को 22 महीनों तक बिना अनुदान की आवश्यकता/मांग के कार्यालय में रोके रखा जाना भी भी अनियमित था। कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा द्वारा इंगित तथ्यों को अपने उत्तर में स्वीकार किया गया था।

अतः रेशा क्रय अनुदान के अनियमित आहरण, अवरोधन एवं व्यय के इस प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**प्रस्तर का विवरण**		
		भाग –II (अ)	**भाग –II (ब)**	**STAN**
1.	04/2009-10	01, 02 & 03	01 & 02	01
2.	32/2014-15	-	01 & 02	-
योग		**03**	**04**	**01**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..............................शून्य....................................

भाग-V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित, मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून, उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

...शून्य ....

2. सतत् अनियमितताएः

(i) उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम-2002 के प्रस्तर-30 के अनुसार बोर्ड ऐसे वार्षिक लेखे एवं अन्य अभिलेख तैयार करेगा जैसा कि प्रावधानित किया जाये। हालांकि लेखा परीक्षा में पाया गया कि बोर्ड द्वारा न तो किसी प्रकार के लेखांकन प्रक्रिया को निर्धारित/अनुमोदित कराया गया और न ही वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक वार्षिक लेखे तैयार किए गए। यह अनियमितता इस तथ्य के बावजूद थी कि इस बोर्ड द्वारा वार्षिक खातों तैयार न किए जाने से संबंधित प्रकरण को 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (प्रस्तर-3.1.11.2) के माध्यम उजागर किया गया था।

(ii) उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम-2002 की धारा -26 प्रावधानित करती हैं कि, बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन सरकारी खजाने में दो अलग-अलग (*'खादी खाता' और 'ग्रामोद्योग खाता'*) व्यक्तिगत लेजर खातों (पी.एल.ए.) के अंतर्गत रखा जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि बोर्ड द्वारा पी.एल.ए. खोले गए थे (मई 2010), परंतु बोर्ड निधि को पी.एल.ए. में स्थानांतरित नहीं किया गया था और राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले वार्षिक अनुदानो को भी इन पी.एल.ए. के माध्यम से संचालित नहीं किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निधियों को विभिन्न बैंक खातों में रखा जा रहा है (31 मार्च 2018 को अवशेष `20.49 करोड़) जो कि बोर्ड अधिनियम, के प्रावधान के अनुसार अनियमित है।

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एम. एच. खान	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अप्रैल 2014 से 10 अप्रैल 2015 तक
श्रीमती मनीषा पँवार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	11 अप्रैल 2015 से वर्तमान तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित वित्त नियंत्रक बोर्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री डी. डी. जोशी — विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड थानो रोड, भोपालपानी, देहरादून, को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

<u>नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून, के माह वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक के लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा सर्वश्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री शशांक वर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-10-2018 से 25-10-2018 एवं 26-11-2018 से 28-11-2018 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पन्न लेखा परीक्षा पर आधारित नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी।

प्रस्तर- 1:- उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम के प्रस्तर-26 के अनुसार बोर्ड की समस्त निधि/धनराशि को बैंक खातो के स्थान पर दो पी.एल.ए. खाते (खादी खाता एवं ग्रामोद्योग खाता) का संचालन किया जाना अपेक्षित रहेगा। ***(संदर्भ लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या-793/13, पृष्ठ संख्या-41-46)***

प्रस्तर- 2:- सम्भागीय कमेटी की जांच आख्या के आधार पर वसूली की कार्यवाही एवं स्टॉक मे हुई हानि के लिए जवाबदेही तय कर यथोचित कार्यवाही कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा। ***(संदर्भ लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या-793/20, पृष्ठ संख्या-95-102)***

प्रस्तर- 3:- जिला योजना के अंतर्गत संचालित ब्याज उपादान (Interest Subsidy) योजना हेतु शासनादेश (*संख्या 2057/VII-II-13 /136-उद्योग/2012 दिनांक 22-01-2013*) के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार खादी बोर्ड स्तर पर नियमित समीक्षा प्रक्रिया निर्धारित कर समीक्षा किया जाना अपेक्षित रहेगा। ***(संदर्भ लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या-793/22, पृष्ठ संख्या-107-110)***

प्रस्तर- 4:- माह 01/2016 में केन्द्रीय बिक्री मद से, माह 01/2016 (2015-16) के वेतन हेतु किया गया व्यय ₹49,36,169.00 का समायोजन कर आगामी लेखा परीक्षा को सत्यापन कराया जाना अपेक्षित रहेगा। ***(संदर्भ लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या-793/25, पृष्ठ संख्या-121-124)***

प्रस्तर-5:- रोकड़ बही (Plan) के माह 07/2015 प्राप्ति साइड मे लेखांकित ₹83,000 (₹20,000 + ₹20,000 + ₹43,000) प्राप्ति का विवरण अंकित किया जाना किए जाने के कारणो से अवगत करावें तथा प्राप्ति किस मद से संबन्धित है का विवरण अपेक्षित रहेगा। ***(संदर्भ लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या-793/25, पृष्ठ संख्या-121-124)***

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

संख्या: आर्थिक-II/एआईआर- /2018-19 **दिनांक /12/2018**

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून, को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि, उपरोक्त आपतियों की अनुपालन आख्या इसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर सीधे उप महालेखाकार (आर्थिक अनुभाग-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

Appreciation Note

Name of Sr. AO/AO: **श्री रणवीर सिंह**

Party No.: 06

Quarter: III rd

Sl. No.	Name of unit and category	Contribution of Party		Para proposed for PDP	If there is no PDP proposed reason thereof
		Part II (A)	Part II (B)		
	कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून	02	04	-	-

Signature of Sr. AO/Party No - 06

Editing note with remarks (This will be AO/AO Headquarter/SS)

DAG/SS **Sr. AO (HQ)/SS**

जी.पी.एफ. से सम्बन्धित डाटाबेस

इकाई का नामः कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून

लेखा परीक्षा दल सं0 - 06

इकाई का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	लेखापरीक्षा तिथि	कर्मचारियों की संख्या		जांच की गयी संख्या		आपत्ति का विवरण
			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अन्य कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अन्य कर्मचारी	
कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून	04/2014 से 03/2018	15-10-18 से 25-10-2018 एवं 26-11-18 से 28-11-2018	67	41	12	10	

व. लेखापरीक्षा अधिकारी **सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी** **लेखा परीक्षक**

आश्वासन मेमो (Assurance Memo)

प्रामाणित किया जाता है कि कार्यालय, **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून** के अनुपालन लेखा परीक्षा (Compliance Audit) के दौरान लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हैं एवं उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन में यथास्थान संलग्न किया गया हैं। लेखा परीक्षा दल संख्या - 06 द्वारा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराएं गायें ऑडिट मेमो बुक संख्या 793 में ऑडिट मेमो संख्या 03 से 25 तक का प्रयोग किया गया हैं।

(**टिप्पणी:** ***ऑडिट मेमो संख्या 793/11 निरस्त किया गया जो कि पृष्ठ संख्या: P/ पर संलग्न है।***)

सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखा परीक्षा दल संख्या-06

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखा परीक्षा दल संख्या-06

सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)

शीर्षक पत्रक

भाग A लेखापरीक्षा परिणामो का सारांश		
1.	लेखापरीक्षित संगठन का नाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून
2.	दल कार्मिको का नाम	
	I. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी II. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी III. लेखा परीक्षक	श्री रणवीर सिंह श्री प्रदीप कुमार मौर्या श्री शशांक वर्मा
3.	लेखापरीक्षा तिथि	
4.	लेखापरीक्षा के प्रारम्भ एवं समापन की तिथियाँ (*समय अवधि विस्तार , यदि कोई दी गई हो तो अलग से इंगित किया जाय*)	**प्रारम्भ तिथि:** 15-10-2018 से 25-10-2018 एवं 26-11-2018 से 28-11-2018 **समापन तिथि:** 28-11-2018
5.	क्या लेखापरीक्षित/ संपरीक्षित इकाई के साथ प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था ? यदि हाँ, तो चर्चा का कार्यवृत/अभिलेख संलग्न करें।यदि नही, तो कारण बताएं।	नही, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिवालय में बैठती है तथा अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के पास अन्य विभाग का चार्ज भी होने के कारण वह उपस्थित नहीं थे। अन्य अधीनस्थ के साथ औपचारिक बैठक की गई जिसमे लेखा परीक्षा प्रारम्भ किए जाने पर मात्र चर्चा की गई, जिस कारण कार्यवृत तैयार नही किया गया।
6.	निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग-II A के अंतर्गत संभावित प्रस्तरों की संख्या (प्रस्तर संख्याओं का संदर्भ दर्शाते हुए)	इकाई के अंतर्गत एक मात्र प्रस्तर भाग दो अ के अंतर्गत से संबन्धित है।
7.	धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन, प्रकलित धोखाधड़ी एवं राजस्व के रिसाव आदि से संबन्धित प्रस्तरों (प्रस्तर का संदर्भ दर्शाते हुए) के संख्या	शून्य
8.	निरंतर अनियमितताओं आदि से संबन्धित प्रस्तरों जिन्हें प्रबंधन पत्र के माध्यम से विभागाध्यक्ष की जानकारी में लाया जाना चाहिए।	शून्य
9.	लेखापरीक्षा के दौरान सामना की गई चुनौतियों का (अभिलेखों , मानव-शक्ति या संसाधन की बाधाएँ, कार्यक्षेत्र की सीमा इत्यादि) एवं उनका लेखापरीक्षा के दौरान कैसे निदान किया गया, का संक्षिप्त उल्लेख करें ।	कोई नही
10.	आगामी लेखा परीक्षा में ऐसी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सुझाव	N/A
11.	क्या लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख /नोडल अधिकारी के साथ बहिर्गमन सम्मेलन का आयोजन एवं मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा की गई थी ? यदि नही तो कारण बताया जाये ।	हाँ, (बहिर्गमन सम्मेलन कार्यवृत्त **संलग्नक A**)
12.	मुख्यालय को मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं सभी कार्यपत्र प्रस्तुत करने की तिथि (लेखापरीक्षा की समाप्ती तिथि से 07 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है)	
13.	आबंटित समय अवधि, यदि कोई हो, के संदर्भ में मुख्यालय को मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन इत्यादि जमा करनें में देरी का कारण	लागू नही
	सामान्य टिप्पणी यदि कोई हो	शून्य

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">भाग B
अनुगामित/ अनुसारित लेखापरीक्षा प्रक्रिया का विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या लेखापरीक्षा दल (व.ले.प.अ./ले.प.अ./ स.ले.प.अ./वरि. लेखापरीक्षक) के प्रत्येक सदस्य के बीच कर्तव्यों का आबंटन नियोजित ब्यापक कार्य योजना के अनुसार तैयार किया गया था एवं संबन्धित दल के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया था ? यदि नही, कारण एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएँ।</td><td>हाँ (संलग्नक B)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नमूनाकरण पद्धति को अपनाया गया(आवश्यकतानुसार जितनी पंक्तियों की आवश्यकता हो उपयोग की जाए)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"><table>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>अनुभाग जिसकी लेखापरीक्षा की जा रही है</td><td>अभिलेखों की प्रकृति</td><td>प्रतिदर्श आकार (sample size)</td><td>चयन की प्रतिशतता</td><td>अपनाई गयी नमूना विधि</td></tr>
<tr><td></td><td>क्रय/ निर्माण /स्थापना इत्यादि</td><td>फाइले/ बाउचरों इत्यादि</td><td>(चयनित वास्तविक संख्या दर्शाएँ)</td><td>(प्रत्येक वर्ग के लिए प्रतिशतता)</td><td>यादृच्छिक/स्तरीय अनुमानित इत्यादि</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड स्तर पर प्रशासनिक एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है जिसमे जनपदों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनाबंटन करते हुए उनका उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए अनुश्रवण का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा योजनवार खातों का संचालन किया जा रहा है तथा खातेवार पृथक रोकड़ बही (Cash Book) का रख-रखाव भी किया जा रहा हैं। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु दो-दो नमूना माह का चयन किया गया।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या निश्चित किए गए फोकस क्षेत्रों एवं लागू की गई प्रक्रियाएँ योजना के अनुरूप थी ? (लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने से विगत समूह अधिकारियों द्वारा अनुनोदित योजना के संदर्भ में यदि नही, तो कारण एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएँ)</td><td>हाँ</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>क्या पर्यवेक्षण समूह पर समूह अधिकारी/ मुख्यालय अनुभाग द्वारा जांच हेतु चिन्हित सभी मुद्दों का निदान किया गया?</td><td>समूह अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया गया। मुख्यालय अनुभाग द्वारा जांच हेतु कोई प्रकरण चिन्हित/सौपा नहीं गया था। यद्यपि आईटीए अनुभाग द्वारा जारी आदेशो का अनुपालन किया गया।
(संलग्नक C)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या कर्तव्यों के आबंटन के अनुसार सौपा गया समस्त कार्य पूरा किया गया? यदि नही, तो कारण एवं स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएँ</td><td>हाँ (संलग्नक D)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>संक्षेप में अगले लेखा परीक्षा के लिए संभावित फोकस क्षेत्रों को इंगित करें ।</td><td>➢ खादी के उत्पादों एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुये अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कर रोजगार उपलब्ध कराना।
➢ कच्चे माल तथा उपकरणों को जुटाने के लिये सुरक्षित भण्डार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।
➢ खादी ग्रामोद्योगी वस्तुओं पर रिबेट एवं उत्पादों के प्रचार तथा क्रय-बिक्रय की प्रभावी व्यवस्था।</td></tr>
</table>

7.	क्या लेखा परीक्षा दलों के सदस्यों द्वारा जांच किए गए दस्तावेजों /अभिलेखों को दर्शाती दैनिक डायरियों को तैयार, हस्ताक्षरित एवं संलग्न किया गया?		हाँ,(**संलग्नक E**)	
8.	क्या मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त साक्ष्य (मुख्य दस्तावेज़) प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र दिया गया है?		हाँ,(**संलग्नक F**)	
9.	क्या मुख्य दस्तावेजों को प्रस्तर में निर्दिष्ट किया गया है एवं साक्ष्य के स्रोतों को फूटनोट के रूप में प्रदान किया गया है?		हाँ	
10.	कृपया नीचे दिये गए विगत निरीक्षण प्रतिवेदन लंबित प्रस्तरों की स्थिति दर्शाएँ।			
	निरीक्षण प्रतिवेदनों की तिथि/ अवधि	लंबित प्रस्तरों की संख्या (प्रारम्भ)	लंबित प्रस्तरों की संख्या (समाप्त)	प्रस्तरों के लंबित रहने के कारण
	04/2009-10	05 (II A & B) and 01 STAN	05 (II A & B) and 01 STAN	खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।
	32/2014-15	02 (II A & B	02 (II A & B	
11.	क्या एक प्रमाण-पत्र दिया गया था कि लेखा परीक्षा का सम्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकर के लेखा परीक्षा मानक 2017 के अनुसार किया गया था ?		हाँ,(संलग्नक F)	
12.	क्या एम प्रमाण-पत्र कि लेखा परीक्षा दल ने लेखापरीक्षा गुणवत्ता आरेख /फ्रेमवर्क एवं आचार संहिता का अनुपालन किया गया है, प्रदान किया गया है?		हाँ,(संलग्नक F)	
	दिनांक		**वरि0 लेखा परीक्षा अधिकारी**	

संलग्नक C

समूह अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण का पालन

लेखापरीक्षित इकाई का नाम	पर्यवेक्षण की तिथि	समूह अधिकारी की टिप्पणियां / प्रश्न	टिप्पणियों/प्रश्नों पर लेखापरीक्षा दल द्वारा की गई कार्रवाई
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून	समूह अधिकारी द्वारा इकाई का निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया।		

संलग्नक D

लेखापरीक्षा के समापन पर प्रमाणपत्र

हमने कार्य सूची के अनुसार सभी मुद्दों की जांच की है (निम्नलिखित को छोड़कर) एवं लेखापरीक्षा जांच के आधार पर आवश्यक लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी की गई हैं।

क्र.सं.	उन मुद्दों का संक्षिप्त विवरण जिनको लेखापरीक्षा में नहीं देखा जा सका	इसके कारण (*अभिलेखों की अनुपलब्धता, समय की बाध्यता, मानव-शक्ति की कमी, अन्य बाधाएं / कारण आदि*)
	शून्य	

वरि0 लेखा परीक्षा अधिकारी

संलग्नक E

लेखापरीक्षा टीम के प्रत्येक सदस्य की दैनिक डायरी

दिनांक	संक्षिप्त विवरण (*जैसे फ़ाइल संख्या, किए गए कार्य के मद, देखे एवं जाँचे गए अभिलेख इत्यादि*)		
	श्री रणवीर सिंह (व.लेखा परीक्षा अधिकारी)	**श्री प्रदीप कुमार मौर्या (स. लेखा परीक्षा अधिकारी)**	**श्री शशांक वर्मा (लेखा परीक्षक)**
15-10-2018	Commencement of Audit with formal meeting to available officers, general requisition and scrutiny of Guard files and Annual Accounts of the Board and irregular operation of bank accounts.	Leave (*CL w.e.f. 15-10-2018 से 20-10-2018*)	Commencement of Audit, general requisition related to Service book and GPF/NPS and scrutiny of concerned file.
16-10-2018	Implementation of State Sector Scheme for purchase of fibre (*Resha*).		Checking of Service Books,
17-10-2018	Assistance to Khadi Evam Gramodyog Board.		
18-10-2018	Implementation of Centrally Sponsored scheme- Pradhan Mantri Employment General Programme (PMEGP).		Checking of GPF Pass Books, Contribution of NPS and its connected records.
19-10-2018	Dushera		
20-10-2018	Checking of dead stock register and other stock accounts.	Leave (*CL w.e.f. 15-10-2018 से 20-10-2018*)	Scrutiny of SPS register and other establishment expenditure
21-10-2018	Sunday		
22-10-2018	Compliance of outstanding paras of previous reports.	Implementation of State Sector Scheme- Rebate on Sale of Khadi Vastra.	Checking of logbooks of vehicles, purchase and issue of stationary and other consumable items.
23-10-2018	Strengthening of the Woollen Banks (District Plan Scheme).		
24-10-2018	Maharshi Balmiki Jayanti		
25-10-2018	As per message received from Hq office the audit has been suspended for finalisation of CAG's PA Audit Report 2013 Disaster and reported to Hq Office [PAG (Audit) office.] on 25-10-2018.		
26-11-2018	Implementation of State Sector Scheme- Financial assistance to Weavers for weaving purposes. Implementation of State Sector scheme for Assistance to Khadi Institutions.	Interest subsidy to individual entrepreneurs (District Plan Scheme). Examination of records pertaining to recovery of loan.	Collection of Information for Filling the Performa ***(Performa 1 to 22)*** provided by the Hq office.
27-11-2018	Examination of utilisation of the Annual Grant-in-Aid. Examination of records relating to Cluster Development Programme.	Checking of Cash Books, Income & Expenditure Statements, vouchers of test months.	
28-11-2018	Collection of Audit memos and reply thereof alongwith necessary enclosures and discussion with Additional Chief Executive Officer/Exit conference.		
Signature			

संलग्नक F

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं :

- मसौदा निरीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त साक्ष्य (मुख्य दस्तावेज़) प्राप्त किए गए हैं एवं मसौदा निरीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत कर दिए हैं।

- लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के लेखापरीक्षा मानक-2017 के अनुसार आयोजित/संपादित की गई हैं।

- लेखापरीक्षा दल ने लेखापरीक्षा गुणवत्ता फ्रेमवर्क/ढांचा एवं आचार संहिता का अनुपालन किया है।

वरि° लेखापरीक्षा अधिकारी